राजस्थान सरकार

चिकित्सा शिक्षा विभाग (ग्रुप-1)

क्र. प. 18 (39)/एम.ई. ग्रुप-1/2010 जयपुर, दिनांक: 26.9.2011

प्रधानाचार्य एवम् नियंत्रक
मेडिकल कालेज
जयपुर/ अजमेर/ कोटा/उदयपुर
बीकानेर/जोधपुर।

MD, RMSCL

प्रधानाचार्य,
दंत महाविद्यालय
जयपुर।

27 SEP 2011

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2011-12 की बजट घोषणा के अनुसार सभी मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में मरीज़ों के सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयां 2 अक्टूबर 2011 से निःशुल्क उपलब्द्ध करवाई जाएंगी। अतः सभी प्रधानाचार्य सम्बद्ध चिकित्सालयों में निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाएंः-

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
24 SEP 2011
डायरी क्रमांक 9570

1. चिकित्सकों द्वारा यथासम्भव प्रेस्क्रिप्शन जैनेरिक नाम/साल्ट/इंग्रेडिएंट/ से ही लिखा जावे एवम् आवश्यक दवाइयों का उपयोग मानक उपचार निर्देशों (एस.टी.जी.) के अनुसार किया जाए, साथ ही प्रत्येक पर्ची पर निदान, चिकित्सक के हस्ताक्षर एवम पदनाम अंकित होने आवश्यक है।
2. दवाइयाँ दो प्रतियों (कार्बन कॉपी) पर लिखी जाऐगी। एक पर्ची मरीज़ के पास रहेगी तथा दूसरी पर्ची डी.डी.सी. पर दी जा कर दवा प्राप्त की जाएगी।
3. यदि निशुल्क दवाइयों की सूची के अतिरिक्त अन्य दवा लिखी जानी आवश्यक है, तो उसका पूर्ण औचित्य पर्ची पर अंकित करा जाए।
4. प्रधानाचार्य सभी सम्बद्ध चिकित्सालयों में प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे। लाइफ-लाइन ड्रग स्टोर निःशुल्क औषधियों के अतिरिक्त अन्य दवाइयों/डिस्पोजेबल्स को आम् जन को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाऐंगे। इस हेतु नियमानुसार प्रतिस्पर्धात्मक एवम पारदर्शी क्रय प्रक्रिया अपनाते हुए गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।
5. निःशुल्क दवाइयों का समुचित भंडारण, वितरण, वितरण केन्द्रों एवम औषधि भण्डार गृह की स्थापना, सुदृढीकरण, नवस्थापन, देखभाल आदि की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अधीक्षक की होगी।

EDC(A)

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें अन्यथा विभाग द्वारा गम्भीरता से लिया जायेगा.

भवदीय,

(मुकेश शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

C:\Documents and Settings\admin\Desktop\AAo\LP\letterhindi.doc 54

प्रतिलिपी सूचनार्थः

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव मा.मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार.
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव मा. मंत्री महोदय चि.शि, राजस्थान सरकार.
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय चि.शि, राजस्थान सरकार.
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार.
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवम स्वास्थ्य, राजस्थान सरकार
6. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज राजस्थान.
7. समस्त अधीक्षक सम्बद्ध चिकित्सालय, मेडिकल कालेज राजस्थान,
8. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव